न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रामगढ पचवारा दौसा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिषियल्स जज
	रामनाथ बनाम हरीश दावा
24/04/23	आदेश [illegible] किये हुआ है मात आदेश का पालन में दिनांक 31/[illegible]/23 आदेश
31/05/23	आदेश [illegible] मात आदेश का पालन में दिनांक 2/[illegible]/23 आदेश
02/06/23	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी श्री [illegible] द्वारा वकालतनामा पेश किया जो शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं० 1 की ओर से श्री देवकिशन अवं उपस्थित आपत्ति प्रार्थना पत्र दुरीगत पर बहस सुनी गई। बाद बहस प्रार्थनापत्र आपत्ति खारिज किया जाकर वादवादी मुताबिक दुरीगत औसिग रूप से डिक्री किया जाता किन्तु विविध प्रकरण से किया जाकर शामिल किया गया है। पत्रावली फैसलशुदा होकर नम्बर से काटे जाने व तकमील दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ पचवारा (दौसा)